प्रेस नोट–119/2026
दिनांक 28.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारीगण का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 28.02.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी **श्री संदीप सालुंके,** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग लखनऊ, **श्री एम0के0 बशाल**, पुलिस महानिदेशक होमगार्डस उ0प्र0 लखनऊ, **श्री दिपेश जुनेजा**, पुलिस महानिदेशक अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ, **श्री के0 सत्यनारायणा** अपर पुलिस महानिदेशक की दिनांक 15.02.2026, **श्री दिनेश सिंह** पुलिस उपमहानिरीक्षक की दिनांक 09.01.2026 एवं **श्रीमती सुधा सिंह** पुलिस उपमहानिरीक्षक की दिनांक 15.01.2026 को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

विदाई कार्यक्रम के अवसर पर **श्री संदीप सालुंके**, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग लखनऊ, **श्री दिपेश जुनेजा**, पुलिस महानिदेशक अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ एवं **श्री के0 सत्यनारायणा** अपर पुलिस महानिदेशक को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

विदाई कार्यक्रम के दौरान श्रीमती रेणुका मिश्रा, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, श्री एस0एन0 सावत सेवानिवृत्ति पुलिस महानिदेशक, श्री बी0डी0 पॉल्सन अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं श्री प्रकाश डी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे द्वारा अपने संबोधन में सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बिताये गये महत्वपूर्ण पलों को साझा किया गया तथा पुलिस विभाग में किये गये उनके सराहनीय कार्यों का उल्लेख करते हुये सभी अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

कार्यक्रम के दौरान श्री संदीप सालुंके, श्री दिपेश जुनेजा एवं श्री के० सत्यनारायणा ने अपने संबोधन में अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को साझा किया। उन्होंने पुलिस विभाग में विभिन्न नियुक्तियों के दौरान प्राप्त अनुभवों एवं उल्लेखनीय संस्मरणों एवं अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों का उल्लेख करते हुए पुलिस महानिदेशक उ०प्र० सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विभाग से प्राप्त सहयोग, मार्गदर्शन एवं स्नेह के लिए कृतज्ञता प्रकट की।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा कार्यक्रम के अंत में अपने संबोधन में श्री संदीप सालुंके, श्री दिपेश जुनेजा एवं श्री के० सत्यनारायणा के कार्यकाल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उनके व्यक्तित्व, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा की गयी।

उन्होंने अधिकारियों के साथ बिताए गए समय और अनुभवों को साझा करते हुए विशेष रूप से साथ में कार्य करने के दौरान के क्षणों को साझा किया गया तथा कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों ने सदैव ईमानदारी, समर्पण और उच्च स्तर की “ऑफिसर लाइक क्वालिटीज” का परिचय दिया, जो पुलिस सेवा के आदर्श मानकों के अनुरूप है।

अपने संबोधन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 30-35 वर्षों की दीर्घ सेवा के उपरांत पुलिस विभाग एक परिवार के समान हो जाता है, जहाँ व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर सेवा, कर्तव्य और संगठन के प्रति समर्पण ही जीवन का मुख्य अनुभव बन जाता है। अंत में, उन्होंने उपस्थित तीनों अधिकारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गयी।

श्री संदीप सालुंके जी का जन्म 1966 फरवरी 03 को नासिक(महाराष्ट्र) में हुआ था। वर्ष 1990 में में चयनित ’भारतीय पुलिस सेवा‘हुये। प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष मानव 0प्र0उ ,के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिदेशक ’पुलिस महानिदेशक‘ में 2021 जहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर ,लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये ,अधिकार आयोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री संदीप सालुंके जी निष्ठावानकार्यकुशल एवं , सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। आपका 35 वर्षों से अधिक का कार्यकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री संदीप सालुंके जी को वर्ष स्वतन्त्रता दिवस ,में पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक 2002 2007 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस के 2014 ,अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदकस्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ(सिल्वर) का प्रशंसा चिन्ह 0प्र0 एवं स्वतन्त्रता दिवस 2021 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उगोल)का प्रशंसा चिन्ह 0प्र0्ड से सम्मानित किया गया है। (

श्री दिपेश जुनेजा जी का जन्म 1966 फरवरी 11को देहरादून(उत्तराखण्ड) में हुआ था। वर्ष 1992 में ‘भारतीय पुलिस सेवा में चयनित ’हुये। प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष ,अभियोजन ,के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिदेशक ’पुलिस महानिदेशक‘ में 2025 ,लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये 0प्र0उजहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री दिपेश जुनेजा जी कार्यकुशल ,लगनशील एवं सरल स्वभाव के सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। आपका 33 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री दिपेश जुनेजा जी को वर्ष 2001- के लिये 02United Nations Medal स्वतन्त्रता दिवस , 2012 वर्ष ,के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक 2010, 2013, 2014, 2015, के 2017 एवं 2016लिये डीजी आईटीबीपी कमेंडेशन डिस्कस्वतन्त्रता ,कठिन सेवा पदक ,

के अवसर पर 2016 दिवसविशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक 2019 स्वतन्त्रता दिवस , (सिल्वर)का प्रशंसा चिन्ह 0प्र0उ ,के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, दिनांकः 15.03.को कुम्भ 2019 स्वत ,सेवा पदकन्त्रता दिवस (गोल्ड)का प्रशंसा चिन्ह 0प्र0उ ,के अवसर पर पुलिस महानिदेशक 2020 से (प्लेटिनम)का प्रशंसा चिन्ह 0प्र0उ ,के अवसर पर पुलिस महानिदेशक 2023 एवं स्वतन्त्रता दिवस सम्मानित किया गया है।

श्री केसत्यनारायणा जी 0 का जन्म 15अक्टूबर1967 को विशाखापत्तनम(आंध्र प्रदेश) में हुआ था। वर्ष 1998 में 'भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुये। प्रशिक्षण के उपरान्त 'राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर 'अपर पुलिस महानिदेशक' में 2023 ,अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं अपर पुलिस महानिदेशक ,पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी 15लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं से दिनांकः 0प्र0उ ,भ्रष्टाचार निवारण संगठन.02.को 2026 स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुये।

श्रीके सत्यनारायणा 0जी अत्यन्त परिश्रमी एवं कर्मठ अधिकारी रहे हैं। आपका 27 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्रीके सत्यनारायणा 0जी को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं 2014 का प्रशंसा 0प्र0उ ,के अवसर पर पुलिस महानिदेशक 2021 स्वतन्त्रता दिवस ,के लिये पुलिस पदक का प्रशंसा 0प्र0उ ,के अवसर पर पुलिस महानिदेशक 2023 एवं स्वतन्त्रता दिवस (सिल्वर)चिन्ह से सम्मानित किया गया है। (गोल्ड)चिन्ह

पी.ए.सी पूर्वी
आगरा

पी.ए.सी पूर्वी
आगरा जोन

प्रेस नोट–120/2026
दिनांक 28.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

गैर राज्यों में टैक्स चोरी करने वाले अंतरराज्यीय)Inter-State) जीएसटी गिरोह के 04 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार।

- **कुल ,मोबाइल 08 ,हजार रुपये नकदी 30 लाख 0223 सिम ,06 एटीएम**
- **01 पैन कार्ड, अदद चेकबुक 1, अदद पासबुक 3, अदद डायरी के पन्ने 4, दो अदद अंगूठी पीली धातु सफेद नग जड़ा हुआ व एक अदद चैन पीली धातु बरामद**

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में धोखाधड़ी, ठगी सहित अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक सीतापुर के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम एवं सर्विलांसस्वाट की सयुंक्त टी/म द्वारा जीएसटी चोरी का सफल अनावरण करते हुए कुल शातिर 04 अभियुक्तों **1. सोना उर्फ आशीष पुत्र बलवीर सिंह निवासी मोसैंया चौकी दारगी थाना 0 02 सैंया जनपद आगरा. कुलदीप सिंह पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम बड़ागांव इगलासपुर थाना सम्साबाद जनपद आगरा 03. विवेक कुमार पुत्र नरेश चन्द्र निवासी 66/नगला कड़ेरू नरीपुरा 26 04 थाना शाहगंज जनपद आगरा. सूरज रावत पुत्र महिपाल सिंह निवासी भरतपुरी थाना रामनगर जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड** को आरजिनसे ,स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है .पी.एम. कुल 2,30,000/- रुपये नगद तथा अलग अलग कम्पनी के ,अदद सिम 2370 अदद रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र , 2 अदद आधार कार्ड की प्रति ,2 अदद मूल आधार ,अदद बिजली बिल की प्रति 6 कार्ड ,1 अदद पैनकार्ड ,6 अदद एटीएम ,01 अदद चेकबुक ,3 अदद पासबुक ,4 अदद डायरी के पन्नेएक डब्बे में दो , अदद अंगूठी पीली धातु सफेद नग जड़ा हुआ व एक अदद चैन पीली धातु3 वाहन चारपहिया महिंद्रा ,XO रंग काला बिना नम्बर प्लेट बरामद हुआ है।

जांच के दौरान पुष्टि हुई कि भारत के अलग अलग राज्यों तमिलनाडु ,पंजाब ,कर्नाटक , से 1000 आदि राज्यों में 0प्र0उ ,दिल्ली ,हरियाणा अधिक जीएसटी की फर्जी फर्म बनाकर अभियुक्तों द्वारा ITC की चोरी की गयी है।

<u>अपराध करने का तरीका</u> -गिरफ्तार अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगो को नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर उनके दस्तावेज लेते थे तथा उन्हीं के नाम की कई फर्जीबोगस फर्म / बनाकर जीएसटी चोरी करते हुए सरकार को करोड़ो रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे। अभियुक्तों से पूछताछ में लगभग बोगस फर्म की जानकारी हुई है जिनके माध्यम से इनके द्वारा /से अधिक फर्जी 1200 लगातार जीएसटी चोरी की जा रही थी।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग आपस में मिलकर फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाकर फर्जी फर्मों के माध्यम से सेल परचेज दिखाकर धन अर्जित करते हैं। उक्त कार्य में जो हम लोगों के पास से लैपटॉप व फोन तथा विभिन्न कम्पनियों के सिम आदि बरामद हुआ है , उसका उपयोग करते हैं इसी कार्य से धन अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। अर्जित धन से ही जो आप लोगों द्वारा गाड़ी तथा कीमती अंगूठी व चैन व मोबाइल फोन बरामद किया गया है, खरीदे हैं इसके अलावा जो नगद रुपये बरामद हुए हैं वह भी हम लोगों द्वारा इसी कार्य से अर्जित किया है। हम लोगों के द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर सीतापुर में भी पूजा सिंह के नाम से फर्जी फर्म पी .एस. ट्रेडर्स बनाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर बिलों के आधार पर काफी मात्रा में धन अर्जित किया गया। हम लोगों के द्वारा आपस में इस कार्य को अंजाम देकर प्राप्त हुए धन को आपस में बंटवारा कर लेते हैं। इस कार्य को सोना उर्फ आशीष के देखरेख में अंजाम दिया जाता है। इसी वाहन से हम सभी जगह जगह जाकर इस काम के स्रोत को एकत्रित कर घटना को अंजाम देते हैं।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी हैंजिनक ,े द्वारा इस प्रकार की घटनायें अन्य जनपदों में की गयी है जिनकी जांच की जा रही है। ,पंजीकृत अपराध संख्या 203/318 धारा 2025(4), 338, 336(3), 340(2) BNS बढ़ोत्तरी धारा 3(5) BNS में गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों.के विरूद्ध निरन्तर प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>203 **0सं0अ0मु –**/318 धारा 2025(4), 338, 336(3), 340(2) ,3)5 (BNS

<u>अभियुक्तों का नाम</u> <u>-पता/</u>

1. सोना उर्फ आशीष पुत्र बलवीर सिंह निवासी मोसैंया चौकी दारगी थाना सैंया जनपद आगरा 0
2. कुलदीप सिंह पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम बड़ागांव इगलासपुर थाना सम्साबाद जनपद आगरा
3. विवेक कुमार पुत्र नरेश चन्द्र निवासी 66/नगला कड़ेरू नरीपुरा थाना शाहगंज जनपद 26 आगरा
4. सूरज रावत पुत्र महिपाल सिंह निवासी भरतपुरी थाना रामनगर जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

<u>बरामदगी-</u>

- अदद 3लैपटॉप
- एक बैग में 2,30,000/- रुपये नगद
- अलग अलग कम्पनी के अदद सिम 23
- अदद रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति 70
- अदद आधार कार्ड की प्रति 2, अदद आधार कार्ड 2,
- अदद बिजली बिल की प्रति 6
- अदद ओनरशिप डिटेल प्रति 3,
- अदद पैनकार्ड 1, अदद एटीएम 6, अदद चेकबुक 1, 3अदद पासबुक
- अदद मोबाइल फोन एण्ड्रॉयड 8, अदद डायरी के पन्ने 4
- एक डब्बे में दो अदद अंगूठी पीली धातु सफेद नग जड़ा हुआ व एक अदद चैन पीली धातु
- वाहन चारपहिया कार महिंद्रा 3XO बिना नम्बर प्लेट

प्रेस नोट–121 / 2026
दिनांक 28.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 28.02.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई** द्वारा मो0 हसमुद्दीन निवासी ग्राम जाहिदपुर थाना व तहसील शाहाबाद जनपद रामपुर से नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कृष्ण अवतार के नेतृत्व में तहसील परिसर शाहाबाद स्थित सरकारी आवास से **राजस्व विभाग** के **प्रेम शंकर तिवारी (संग्रह अमीन तहसील शाहाबाद)** पुत्र स्व0 राममूर्ति लाल निवासी ग्राम सिगौई थाना कुंबरगांव जनपद बदायूं, हालपता सरकारी आवास तहसील परिसर शाहाबाद जनपद रामपुर को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–122/2026

दिनांक 28.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना खेसरहा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 98 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 28.02.2026 को थाना खेसरहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वजीराबाद ईंट भट्ठे के पास से अभियुक्त विशाल उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 98 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.02.2026 को थाना खेसरहा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेसरहा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खेसरहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल उर्फ छोटू निवासी बरगदवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 98 हजार 500 रूपये नगद आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–126

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 73 हजार 500 रूपये नगद**
- **09 पासपोर्ट, 04 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप,**
- **कूटरचित 07 एयरलाइन टिकट, 09 वीजा के प्रिंटआउट, 07 जॉब पम्पलेट आदि बरामद**

दिनांक 27.02.2026 को थाना सेक्टर–126 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीएमआई टी–प्वाइंट से सुपरनोवा बिल्डिंग सेक्टर–94 के पास से 02 अभियुक्तों 1–नियाज अहमद उर्फ अरमान 2–राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 73 हजार 500 रूपये नगद, 09 पासपोर्ट, 04 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, कूटरचित 07 एयरलाइन टिकट, 09 वीजा के प्रिंटआउट, 07 जॉब पम्पलेट आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा विदेशी कम्पनियों के नाम पर आकर्षक एवं लुभावने फर्जी/कूटरचित नौकरी का विज्ञापन तैयार कर ऊँची सैलरी, फ्री वीजा, फ्री टिकट आदि का झांसा देकर भोले–भाले लोगो के साथ धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–126 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नियाज अहमद उर्फ अरमान निवासी ग्राम बड़हरा बरईपार थाना श्यामदेउरूवा जनपद महाराजगंज, हालपता बाटला हाउस जामिया नगर दिल्ली।

2–राजू निवासी ग्राम शेरपुर जनपज सीवान बिहार, हालपता मानेसर गुरूग्राम हरियाणा।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 73 हजार 500 रूपये नगद।

2–09 पासपोर्ट, 04 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप।

3–कूटरचित 07 एयरलाइन टिकट, 09 वीजा के प्रिंटआउट, 07 जॉब पम्पलेट आदि।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————